न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़ जिला झुन्झुनू
पीठासीन अधिकारी श्री मुरारीलाल शर्मा (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर 15/2017 दिनांक–24–01–2017

श्री महावीर प्रसाद पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी डाबडी बलौदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–आवेदक

बनाम

1. सम्पत पत्नी महीपालसिंह जाति जाट निवासी ग्राम डाबडी बलोदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
2. राकेश उर्फ पिंटू पुत्र महीपाल जाति जाट निवासी ग्राम डाबडी बलोदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
3. सुभिता पुत्री महीपाल जाति जाट निवासी ग्राम डाबडी बलोदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
4. सुनिता पुत्र महीपाल जाति जाट निवासी ग्राम डाबडी बलोदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
5. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील नवलगढ़।
6. उप–पंजीयक मुकुन्दगढ तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।
7. मुकेश पुत्र फूलचन्द
8. फूलचन्द पुत्र नाराणाराम जाति बलाई निवासीगण ग्राम डाबडी बलौदा तहसील नवलगढ जिला झुन्झुनू।

–अनावेदकगण

वकील आवेदक : – श्री सुरेश कुमार सीगड़
वकील अनावेदक :– श्री विप्लव पंडित

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा

आदेश

दिनांक 06–03–.2020

आवेदक ने प्रार्थना बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि जमीन खसरा नम्बर पुराने 159 रकबा 11 बीघा 9 बिस्वा ग्राम डाबडी बलौदा की सरहद में स्थित रही है, जिसमें 1/4 हिस्सा आवेदक के पिता मालाराम व प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 (रामेश्वर के वारिसान) का रहा है। मालाराम और रूघाराम दोनो सगे भाई थे, रूघाराम बडा था, मालाराम छोटा था दोनो की मृत्यू हो चुकी है दोनो कालूराम पुत्र पेमाराम के जायन्दा पुत्र थे, इस जमीन में 1/4 हिस्सा कालूराम पुत्र पेमाराम का था, जिसको कालूराम के बाद कालूराम के दोनो पुत्र रूघा व माला काश्त करते थे, काबिज थे, लगान अदा करते थे। इस प्रकार इस जमीन पुराने खसरा नम्बर 159 के रूघा व माला दोनो खातेदार काश्तकार थे, जो भौतिक रूप से बाकायदा अपने हक की 1/4 हिस्से की जमीन को बराबर–बाराबर यानि आधी–आधी काश्त करते थें, इसी प्रकार कब्जा था व इसी प्रकार लगान अदा करते थे, रूघाराम से कोई पुत्र संतान पैदा नही हुई

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

तथा रूघाराम के छोटे सगे भाई मालाराम के दो पुत्र पैदा हुये, जिनमें रामेश्वर बडा था व आवेदक महावीर छोटा है। रूघाराम ने आवेदक के सगे बडे भाई रामेश्वर को गोद ले लिया। इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की जमीन के 1/4 हिस्से में आधे हिस्से का खातेदार काश्तकार के वारिस प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 बन गये व आधे हिस्से का खातेदर आवेदक बन गया, इसी प्रकार से कब्जा कदीम से चला आ रहा है तथा आज भी मौके पर कब्जा इसी प्रकार है। उक्त खसरा नम्बर 159 के राजस्व रिकार्ड में 1/4 हिस्से में अकेले रूघा पुत्र कालू का नाम गलती से दर्ज हो गया क्योकि रूघाराम बडा भाई था, कर्ता खानदान था, घर परिवार के बाहर के कार्य बडा भाई होने के कारण रूघाराम ही करता था, इस कारण से रूघाराम को ही सभी बाहर के व्यक्ति जानते थे एवं छोटा भाई मालाराम खेती का काम करता था, जो पूरे परिवार घर की खेती को संभालता था, जिसको कोई नही जानता था। इस प्रकार घर परिवार के मुखिया कर्ता खानदान के नाम ही पुराने जमाने में रिकार्ड में दर्ज कर लिये जाते थे तथा इसमें छोटा भाई कभी एतराज भी नही करता था, क्योकि प्रथम तो राजस्व रिकार्ड का किसी को कोई ज्ञान ही नही हुआ करता था, द्वितीय आपस में इतना स्नेह था कि बडे भाई को बाप के समान मानते थे, इन सभी कारणों से राजस्व रिकार्ड शुरू से गलत चलता रहा व विश्वास में चलता रहा। इस प्रकार पुराने खसरा नम्बर 159 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा के 1/4 हिस्से में आवेदक का 1/2 हिस्सा है तथा प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 का भी 1/2 हिस्सा है। इस तरह खसरा नम्बर 159 के 1/8 हिस्से का खातेदार आवेदक है एवं 1/8 हिस्से का खातेदार ही प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 है, इसी प्रकार हक हकूक है, मौके पर कब्जा भी कदीम से इसी प्रकार शांतिपूर्वक चला आ रहा है,इस जमीन के 1/8 हिस्से में आवेदक के पिता मालाराम का नाम सहवन से दर्ज होने से रह गया था तथा आवेदक के पिता मालाराम के बडा भाई रूघाराम का नाम अकेले का पुरानी परम्पराओं के आधार पर गलती से दर्ज हो गया, इसलिये अब आवेदक अपने हक की 1/8 हिस्से की जमीन की खातेदारी की घोषणा अपने नाम करवाने हेतु यह दावा पेश कर रहा है शेष खातेदार प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 18 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, जिनसे आवेदक का कोई विवाद नही है, परन्तु रिकार्ड में खातेदारान प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 का नाम चला आ रहा है, लेकिन इन प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 ने अपने हक व कब्जे की जमीन प्रतिवादी नम्बर 24 लगायत 44 को बेच दी है तथा कब्जा भी मौके पर पुख्ता मकान बनाकर प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 के स्थान पर प्रतिवादी नम्बर 24 लगायत 44 को हो रखा है। मुख्य रूप से आवेदक का वाद जमीन के 1/8 हिस्से की ही घोषणा बाबत है, क्योकि 1/8 हिस्से में प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 है, जिसमें 1/2 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 19 का रहा, जिस पर अन्य प्रतिवादीगण नम्बर 36 लगायत 44 का कब्जा है। इस तरह वादग्रस्त जमीन में आवेदक के 1/8 हिस्से की घोषणा आवेदक के नाम की जावे तथा 1/16 हिस्से की घोषणा अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 जो महीपाल के वारिसान है के नाम की जावे शेष 1/16 हिस्सा का रिकार्डेड खातेदार प्रतिवादी नम्बर 19

उपखण्ड अधिकारी
नवलगढ़

Scanned by CamScanner

है जिस पर कब्जा प्रतिवादी नम्बर 36 लगायत 44 का है। इसलिए मोके पर काबिज खातेदारान प्रतिवादी नम्बर 24 लगायत 44 को पक्षकार बनाया गया है जिसके नाम से राजस्व रिकार्ड नही है परन्तु कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी नम्बर 10 लगायत 19 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है परन्तु मोके पर इनका कब्जा नही है।

जमीन खसरा नम्बर पुराने 159 रकबा 11 बीघा 14 बिस्वा ग्राम डाबडी सटकर ही स्थित है जिसको गांव की बोलचाल की भाषा में जाव के नाम से जाना जाता है। इस जाव में 2 बलौदा गौत्र के जाटो एवं 2 खीचड़ गौत्र के जाटो ने मिलकर चार हिस्सेदारी करके अर्से दराज पूर्व काबिज हुये थे जिसमें दो खिचड परिवारों मे चेताराम पुत्र डेडाराम तथा खमाणा पुत्र जीवण राम थे। 2 बलौदा परिवारो में हणमान पुत्र सरूपा एक कालू पुत्र पेमाराम थे। ये चारो परिवार पुराने खसरा नम्बर 159 के खातेदार रहे है। जिसका प्रत्येक का इस जमीन मे बराबर–बराबर का कब्जा काश्त एवं हक रहा है तथा चारो परिवार हिस्से के मुताबिक अपना लगान ठिकाना बिसाउ को करते थे तथा चारो परिवारो ने मिलकर इस जाव में एक कुआ बनवाया परन्तु कालू पुत्र पेमा चौथे के हिस्से के रिकार्ड में कालू के बडे पुत्र रूघा अकेले का नाम गलती से दर्ज हो गया उसके छोटे भाई माला का नाम गलती से दर्ज रह गया। आवेदक का सगा भाई रामेश्वर था जो रूघा के गोद चला गया था। उसके जीवनकाल में सभी लोग शांति से रहे कोई बेईमानी नही थी परन्तु रामेश्वर के मरने के बाद उसके पुत्र महीपाल के बेइमानी आ गई और उसकी नियत खराब हो गई तथा वह गलत राजस्व रिकार्ड का दुरूपयोग करने पर आमादा हो गया तथा आवेदक को उस गलत राजस्व रिकार्ड के आड़ में परेशान करने लग गया तथा आवेदक के हक से भी इन्कार करने लगा। जिसके कारण रंजिश हो गई। इसलिए आवेदक अपने हक की रक्षा हेतु दावा एवं प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जमीन पुराने खसरा नम्बर 159 के नये खसरा नम्बर 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 287 बने है, जिनका रकबा क्रमशः 0.60, 0.08, 0.13, 0.16, 0.17, 0.40, 0.28, 0.07, 0.54, 0.45 कुल किता 10 कुल रकबा 2.88 हेक्टर ग्राम डाबडी बलौदा है जिसका राजस्व रिकार्ड अब रूघा के वारिसान उसके पौत्र महीपाल व विनोद के नाम गलत दर्ज चला आ रहा है जबकि आवेदक का नाम इसके साथ 1/4 हिस्से में दर्ज होना चाहिए था। आवेदक का मौके पर भौतिक रूप से अपने 1/8 हिस्से की जमीन पर बकायदा कब्जा है उपयोग–उपभोग है। अन्य किसी आवेदक के इस हिस्से से कोई लेना देना नही है। महीपाल की मृत्यू हो गई है। उसके वारिसान अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 है जो अपने राजस्व रिकार्ड में दर्ज 1/8 हिस्से की जमीन को अनावेदक नम्बर 7, 8 को बेचने की फिराक में है। जिसकी स्याही ले ली गई है तथा विक्रय पत्र तुरन्त करवाने के लिये तैयारी कर ली है जबकि उक्त जमीन में महीपाल के वारिसान अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 का 1/8 हिस्सा कानूनन व तथ्यात्मक रूप से नही है क्योकि राजस्व रिकार्ड गलत बना हुआ है, जिसका अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 दुरूपयोग करके जान

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

बूझकर आवेदक को परेशान करने के लिए विक्रय पत्र तस्दीक करवाना चाहते है, जिसके आवेदक की सख्त हकतलफी होती है, आवेदक अपने कानूनन अधिकारो से वंचित होता है, अपनी पैतृक जमीन से वंचित होता है, जबकि यह जमीन खरीदी हुई नही है। आवेदक और प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 की पैत्रिक जमीन है जिसमें 1/8 हिस्सा आवेदक अकेले का है तथा 1/8 हिस्से मे से आधा हिस्सा 1/16 महीपाल के वारिसान अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 का है तथा 1/8 हिस्से मे से आधा हिस्सा 1/16 प्रतिवादी नम्बर 19 का है, जिस पर कब्जा अन्य प्रतिवादीगण का है। इस तरह गलत राजस्व रिकार्ड के आधार पर महीपाल के वारिसान अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 आवेदक के हक के पैत्रिक जमीन तथा कब्जे काश्त की जमीन विकय करना चाहते है जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है। इसलिए अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 को तुरन्त विकय करने से रोका जाना निहायत आवश्यक हैं अन्यथा आवेदक बर्बाद हो जायेगा, आवेदक का प्राईमाफैसी मजबूत मामला है, सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है, आवेदक को रिलीफ नही दी जावेगी तो आवेदक के साथ अन्याय हो जावेगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह से नही हो सकेगी। इसलिए अनावेदक नम्बर 1 लगायत 8 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना अति–आवश्यक है। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ने आवेदक को धमकी दी है कि राजस्व रिकार्ड हमारे नाम से और हमारे पिता के नाम से है इसलिए हम जमीन की रजिस्ट्री तस्दीक करवायेगे इसी कारण से आवेदक को यह दावा व प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ।

पुराने खसरा नम्बर 159 के अलावा आवेदक की पैत्रिक जमीन ग्राम डाबडी में और भी है जिसके पुराने खसरा नम्बर 67, 152, 129/296 है, जिसका रिकार्ड भी ठिकानो के समय आवेदक के पिता माला बडे भाई रूघाराम के नाम से ही दर्ज हुआ थो जो आज हक के अनुसार आवेदक के नाम बाकायदा जर्द है। खसरा नम्बर पुराने 67, 152, 129/296 के नये खसरा नम्बर 48, 347, 362, 491/47 डाबडी बने है। इस तरह इस जमीन का रिकार्ड आवेदक के नाम से बनाया गया परन्तु खसरा नम्बर 159 का रिकार्ड हक के अनुसार आवेदक के नाम नही बना, जिसके लिए दावा पेश है।

अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 की नियत खराब हो गई है, जो आवेदक के हक की जमीन को हडप कर नाजायज रूप से बेचने की फिराक में है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही है, लिहाजा बिना अधिकार के उन्हे विकय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है, इसलिए उन्हे रोका जाना निहायत आवश्यक है। आवेदक का नाम जमीन खसरा नम्बर 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 287 ग्राम डाबडी बलौदा के राजस्व रिकार्ड में 1/8 हिस्से में दर्ज किया जावे एवं अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 का नाम 1/16 हिस्से में दर्ज किया जावे तथा जब तक रिकार्ड दुरूस्त नही हो जावे तब तक के घोषणा के साथ दुरूस्ती रिकार्ड करके अनावेदकगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे मोके व

उपखण्ड अधिकारी
बयनवर

Scanned by CamScanner

रिकार्ड के बाबत यथास्थिति बनाये रखे, विकय नही करे, विकय अथवा अन्य किसी तरीके से अन्तरण कर दस्तावेज तस्दीक नही करवाये विधिवत विभाजन प्राथमिक डिकी से किया जावे।

आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला है, सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है। अगर आवेदक का प्रार्थना पत्र स्वीकार नही किया जावेगा तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी।

आवेदक द्वारा प्रार्थना पत्र पेश कर अनुतोष के संबंध में निवेदन किया कि ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जमीन खसरा नम्बर 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 287 रकबा क्रमशः 0.60, 0.08, 0.13, 0.16, 0.17, 0.40, 0.28, 0.07, 0.54, 0.45 कुल किता 10 कुल रकबा 2.88 हेक्टर ग्राम डाबडी बलौदा के बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 किसी भी तरह का दस्तावेज अन्तरण बाबत अनावेदक नम्बर 6 के कार्यालय में तस्दीक नही की करवाये तथा अनावेदक नम्बर 6 को पाबन्द किया जावे कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 के द्वारा उपरोक्त जमीन के बाबत अन्तरण का अथवा विकय का कोई दस्तावेज पेश करे तो तस्दीक नही किया जावे। अनावेदक नम्बर 7 व 8 को पाबंद किया जावे कि उपरोक्त जमीन में से किसी भी हिस्से की खरीददारी अथवा जबरदस्ती कब्जा नही करे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज पंजिका किया जाकर तलबी अनावेदकगण की गई। अनावेदक नं. 1 लगायत 4 की ओर से वकील श्री तेजपाल दूत उपस्थित। प्रतिवादी नम्बर 5 लगायत 8 बावजूद सम्यक तामिल के उपस्थित न्यायालय नही होने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वकील अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया कि प्रार्थना पत्र की मद संख्या 2 में वर्णित पुराने खसरा नम्बर 159 का ग्राम डाबडी बलौदा की सरहद में स्थित होना स्वीकार है, परन्तु आवेदक का उक्त कथन अस्वीकार है कि उक्त भूमि में 1/4 हिस्सा आवेदक के पिता मालाराम व प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 (रामेश्वर के वारिसान) का रहा है, बल्कि 1/4 हिस्सा अकेले प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 का है। आवेदक अथवा उसके पिता का भूमि खसरा नम्बर 159 से कोई सरोकार नही है, ना ही कोई हक अधिकार है। मालाराम और रूघाराम दोनो सगे भाई होना, रूघाराम का बडा व मालाराम का छोटा होना व दोनो की मृत्यू होना, कालू के पुत्र होना निर्विवादित है, परन्तु आवेदक का उक्त कथन कि इस जमीन में 1/4 हिस्सा कालूराम पुत्र पेमाराम का था, जिसको कालूराम के बाद कालूराम के दोनो पुत्र रूघा व माला काश्त करते थे, लगान अदा करते थे, कतई गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का दर्ज कथन कि इस प्रकार इस जमीन पुराने लगान अदा करते थे, भी गलत होने से अस्वीकार है आवेदक का उक्त मद में दर्ज कथन कि इस प्रकार उक्त खसरा नम्बर की जमीन 1/4 हिस्से.......परन्तु मोके पर इनका कब्जा नही है, अलग–अलग व संयुक्त रूप से कतई गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक ने उक्त मद में तमाम कथन मिथ्या दर्ज किये है तथा मात्र दावा को रंग देने के लिये तमाम कथन दर्ज किये है। आवेदक ने उक्त मद

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

में दर्ज किया है कि भूमि खसरा नम्बर 159 पहले कालू पुत्र पेमाराम काश्त करता था, जबकि उक्त भूमि कालूराम की थी ही नही क्योकि कालूराम की मृत्यू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने के पूर्व हो गई थी, उस समय जागीर व्यवस्था थी, खातेदारी अधिकार सन् 1955 मे जब राजस्थान कश्ताकारी अधिनियम प्रभाव में आया तब काश्तकारों को दिये गये थे, सन् 1955 मे इस जमीन पर कब्जा रूगला उर्फ रूघाराम पुत्र कालूराम का था और कब्जे काश्त के आधार पर ही उन्हे इस जमीन की खातेदारी की गई थी तथा भूमि के संबंध में जो प्रथम भू–अभिलेख बना उसमें भी खातेदारी रूघला पुत्र कालू के नाम से दर्ज है। भूमि पर शुरू से ही रूघला पुत्र कालू का ही कब्जा काश्त रहा है तथा खुद काश्त की भूमि है। भूमि खसरा नम्बर 159 के 1/4 हिस्सा प्रतिवादी नम्बर 19 लगायत 23 के पूर्वज रूघाराम का था, जिसे रूघाराम ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने पर खुद की प्राप्त की हुई स्वअर्जित सम्पति है, जिसमें आवेदक अथवा उसके पूर्वज मालाराम का कोई लेना–देना नही है, आवेकद ने मात्र प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 की भूमि को हडपने के लिये उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 3 में दर्ज वंशावली स्वीकार है, परन्तु वंशावली के आधार पर किसी को कोई हक अधिकार अर्जित नही होते है।

प्रार्थना पत्र की धारा 4 जिस प्रकार से दर्ज है गलत होने से अस्वीकार है। भूमि खसरा नम्बर 159 जाव के नाम से नही बल्कि जाव नयोड़ी के नाम से जाना जाता है। आवेदक ने उक्त मद मे तमाम वाहियात कथन दर्ज किये है, खातेदारी अधिकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आने के पश्चात प्राप्त हुये है, जो व्यक्ति जिस भूमि को काश्त करता था उसी अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये है, इसलिये जाटो के गौत्र लिखना व कहानी बनाकर प्रकरण को प्रस्तुत करना हास्यास्पद है। चूंकि राजस्थान प्रांत मे जितनी भी भूमिया थी वह जागीर के अधीन थी तथा विवादित भूमि ठिकाना बिसाउ के अधीन थी, जागीरदार जागीरी प्रथा के समय अपनी भूमियों को लगान के बदले अलग–अलग लोगो को काश्त करवाते थे, काश्तकार लगान जागीरदार को अदा करता था, जागीरदार प्रथा समाप्त होने पर जो काश्तकार जिस भूमि को काश्त करता था उसका लगान जागीरदार के स्थान पर राज्य सरकार को लगान अदा करने लगा। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने पर निर्धारित तिथी 15.10.1955 को जिस व्यक्ति को कब्जा काश्त था उसे अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार खातेदारी अधिकार दिये, राजस्थान प्रांत में जागीर खालसा 05.09.1959 को हुई और राज्य सरकार के निर्देशों व प्रावधानो के अनुसार निर्धारित तिथि पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 159 के 1/4 हिस्से पर चेता पुत्र डेडा का 1/4 हिस्से पर हनुमान पुत्र सरूपा का 1/4 भाग पर रूधला पुत्र कालू का तथा 1/4 हिस्से पर खमानिया पुत्र जीवन का कब्जा काश्त था, इसलिये कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी अधिकार उपरोक्त अनुसार प्राप्त हुई तथा प्रथम भू–अभिलेख में खातेदारी कॉलम में उपरोक्त खातेदारो को खातेदारी अधिकार मिले,

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

आवेदक अथवा उसके पिता या दादा को ना तो विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिले, ना इनका कब्जा काश्त था, ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से इसको प्रमाणित किया है, मात्र काल्पनिक कथनों का हवाला देकर उक्त वाद पेश किया है उक्त मद में कालू द्वारा कुआ बनवाने गलती से रिकार्ड बनने महीपाल के मन में बेईमानी आदि कथन मिथ्या दर्ज किये है। आवेदक ने गलत आधारो पर उक्त वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है।

प्रार्थना पत्र की धारा 5 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। जमीन नये खसरा नबर का राजस्व रिकार्ड विधि अनुसार सही दर्ज चला आ रहा है। विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा पहले रूघाराम के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दर्ज हुआ तथा रूघाराम के फौत होने पर रामेश्वर के नाम खातेदारी हुई तथा रामेश्वर के फौत होने पर महीपाल व विनोद कुमार के नाम दर्ज हुई, इसलिये आवेदक द्वारा रिकार्ड गलत दर्ज चले आने का कथन हास्यास्पद है। आवेदक ने उक्त मद में कब्जा होने, 1/8 हिस्सा होने, रिकार्ड गलत दर्ज होने, भूमि उसकी पैत्रिक होने आदि तमाम कथन दस्तावेजी साक्ष्य व वास्तविकाता के विपरीत दर्ज किये है। रिकार्ड शुरू से लेकर आज तक सही चला आ रहा है। आवेदक का खसरा नम्बर 159 अथवा नये खसरा नम्बर की भूमि में ना तो कोई राईट है, ना ही कोई कब्जा काश्त हैं, प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ही एक मात्र मालिक व खातेदार है, जिसमें आवेदक का कोई हिस्सा व संबंध नही है। विवादित भूमि रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है तथा वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 के हक अधिकार की है, रिकार्डेड खातेदार (अभिलिखित खातेदार) है, कब्जाधारी है, जबकि आवेदक का ना तो राईट पहले है, ना वर्तमान में है। प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 अभिलिखित खातेदार कब्जाधारक है, जिनके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती हे। आवेदक का ना तो प्रथम दृष्टया मामला है, ना ही सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में है ना ही किसी प्रकार की क्षति है, जब आवेदक का विवादित भूमि मे कोई राईट ही नही है तो कौनसी क्षति आवेदक दर्ज कर रहा है। अगर उतरदाता को किसी प्रकार से पाबंद किया गया तो आवेदक की तुलना में अपार क्षति होगी, आवेदक को वाद लाने का अधिकार नही है, ना ही कोई खातेदारी अधिकार है, वेग दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसके आधार पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है। आवेदक का प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है।

आवेदक ने जिन भूमि का वर्णन मद संख्या 6 में दर्ज किया है, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में वर्णित प्रावधानो के अनुसार दर्ज हुआ ह। उतरदातागण के रकबा जरूर कम हुआ है, जिसके लिए कार्यवाही विचाराधीन है। भूमि खसरा नम्बर 159 से आवेदक का सरोकार न तो पहले था ना अब है, आवेदक ने गलत दावा पेश किया है तथा उतरदातागण की भूमि को हडपने के लिये उक्त वाद व प्रार्थना

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

पत्र पेश किया है, जो हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र की मद संख्या 7 जिस प्रकार से दर्ज है, गलत होने से अस्वीकार है। आवेदक का विवादित भूमि मे कोई हक अधिकार नही है। ना ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य से प्रमाणित किया है, इसलिये आवेदक किसी प्रकार की घोषणा दुरूस्ती रिकार्ड, विभाजन तथा अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नही है, ना ही उतरदाता को कानूनन पाबन्द करवाने के अधिकारी है, आवेदक को उक्त वाद पेश करने की लोकस स्टेण्डाई नही है, इसलिये आवेदक का वाद व प्रार्थना पत्र हर्जे खर्चे सहित खारीज होने योग्य है। आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन नही है तथा न ही आवेदक को कोई अपूर्णीय क्षति हो रही है। इसलिये आवेदक का प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है।

वकील अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अतिरिक्त कथन किया कि विवादित भूमि रूघला उर्फ रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है, आवेदक के दर्ज अनुसार मालाराम व कालूराम का विवादित सम्पति से कोई लेना-देना नही है, कालूराम की मृत्यु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पहले हो गई थी, उस समय खेतो की व्यवस्था जागीरदारो द्वारा संचालित व नियंत्रित होती थी, इस प्रकार उस समय किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार थे ही नही। सन् 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आया ओर उसकी धारा 15, 19 के तहत सर्वप्रथम खातेदारी अधिकार लोगो को दिये, जिस व्यक्ति का जमीन पर कब्जा काश्त था उसको जमीन की खातेदारी दी गई, चूंकि उस समय भूमि पर कब्जा काश्त रूगला उर्फ रूधाराम पुत्र कालूराम का था, इसलिये सर्वप्रथम खातेदारी राईट रूगला उर्फ रूघाराम को मिले, इसलिये विवादित भूमि रूगला उर्फ रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है, जिससे भूमि उतरदाता को प्राप्त हुई है, मकानात बनाकर उतरदातागण काबिज है व आबाद है। इसलिये उतरदाता को विवादित भूमि डिलीविथ करने का सम्पूर्ण अधिकार है, आवेदक का विवादित में कानूनन कोई अधिकार नही है, ना ही आवेदक को वाद लाने का अधिकार है, ना ही किसी प्रकार की घोषणा करवाने की लोकस स्टेण्डाई है, इसलिए आवेदक ने गलत व विधि विरूद्ध वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारीज होने योग्य है। आवेदक ने दावा पूर्ण रूप से वेग आधारो पर पेश किया है इस कारण आवेदक का वाद व प्रार्थना पत्र कानूनन चलने काबिल नही है। विवादित भूमि रूगला उर्फ रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है, इसलिये आवेदक को उतरदाता के विरूद्ध कोई वाद हेतुक नही है, इसलिए बिना वाद हेतुक के उक्त वाद व प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. के प्रावधानों के अनुसार खारीज होने योग्य है।

विवादित भूमि के उतरदाता रिकार्डेड (अभिलिखित) खातेदार है, पूर्ण रूपेण स्वामी है, काबिज काश्तकार है, इसलिये रिकार्डेड खातेदार कब्जाधारक के विरूद्ध किसी प्रकार की स्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। आवेदक ने प्रतिवादी नम्बर 46 के विरूद्ध उक्त वाद पेश किया है, जो राजकीय कर्मचारी व अधिकारी लोक सेवक है तथा राज्य सरकार के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

करता है, आवेदक ने प्रतिवादी नम्बर 46 के विरूद्ध रिलीफ डिमाण्ड की है तथा उसके कर्तव्यों से रोकने की डिमाण्ड की है, कानूनन राजकीय कर्मचारी अधिकारी लोक सेवक के विरूद्ध वाद पेश करने पर राज्य सरकार को पक्षकार संयोजित कराना आज्ञापक प्रावधान है, परन्तु आवेदक ने वाद–पत्र में राज्य सरकार को पक्षकार नही बनाया है, इसलिए वाद में आवश्यक पक्षकार नही बनाने का दोष है, वाद विधि द्वारा वर्जित है, जो खारीज होने योग्य है।

जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बहस वकील अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 की ओर से लिखित बहस प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि आवेदक महावीर प्रसाद ने माननीय न्यायालय में एक वाद बाबत घोषणार्थ स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पत्र मे वर्णित आधारो पर विरूद्ध प्रार्थीगण पेश किया है तथा स्वयं को तथाकथित रूप से खातेदार, काश्तकार होना अभिलिखित कर वाद–पत्र में वर्णित भूमि को तथाकथित रूप से पैत्रिक सम्पति होना दर्ज कर वाद पत्र पेश किया है तथा वाद पत्र के साथ एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञ का पेश किया है। प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रार्थीगण के विरूद्ध ''ताफैसला दावा अनावेदकगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि जमीन खसरा नम्बर 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 287 रकबा क्रमश : 0.60, 0.08, 0.13, 0.16, 0.17, 0.40, 0.28, 0.07, 0. 54, 0.45 कुल किता 10 कुल रकबा 2.88 हैक्टर ग्राम डाबडी बलौदा के बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखे, अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 किसी भी तरह से दस्तावेज अन्तरण बाबत अनावेदक नम्बर 6 के कार्यालय में तस्दीक नही करवाये तथा अनावेदक नम्बर 6 को पाबन्द किया जावे कि अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 द्वारा उपरोक्त जमीन के बाबत अन्तरण का अथवा विक्रय का कोई दस्तावेज पेश करे तो तस्दीक नही किया जावे। अनावेदक नम्बर 7, 8 को पाबन्द किया जावे कि उपरोक्त जमीन मे से किसी भी हिस्से की खरीददारी अथवा जबरदस्ती कब्जा नही करे '' की रिलीफ डिमाण्ड की है, जिसका प्रार्थीगण ने जवाब में वर्णित आधारो पर तथा अतिरिक्तोतर में दर्ज प्रतिरक्षा के आधारो पर आवेदक के प्रार्थना पत्र को खारीज करने का निवेदन श्रीमान से किया गया है।

प्रथम दृष्टया मामला :– आवेदक महावीर प्रासद माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित भूमि को पैत्रिक भूमि होना कथन करके उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना पत्र में आवेदक ने दर्ज किया है, मालाराम और रूघाराम सगे भाई थे जो कालूराम के जायन्दा पुत्र है, विवादित भूमि के राजस्व रिकार्ड में अकेले रूघा पुत्र कालू का नाम गलती से दर्ज हो गया, जबकि दोनो का जमीन मे कब्जा है, इसी आधार पर वाद–पत्र के साथ प्रार्थना पत्र पेश किया है। उक्त बिन्दु को तय करने से पहले माननीय न्यायालय को यह देखना है कि क्या विवादित भूमि पैत्रिक सम्पति है ? क्या विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा है ? यहां पर यह देखना है क्या आवेदक के कथनानुसार विवादित भूमि को कालूराम काश्त करता था, जिसके संबंध में आवेदक ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है अथवा नही, यही विवादित बिन्दू है, चूंकि कालूराम

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

की मृत्यू राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आने से पहले हो गई थी, उस समय खेतों की व्यवस्था जागीरदारो द्वारा संचालित व नियंत्रित होती थी, इस प्रकार उस समय किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार थे ही नही। सन् 1955 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रभाव मे आया ओर उसकी धारा 15, 19 के तहत सर्वप्रथम खातेदारी अधिकार लोगो को दिये, जिस व्यक्ति का जमीन पर कब्जा काश्त था उसको जमीन की खातेदारी दी गई, चूंकि उस समय भूमि पर कब्जा काश्त रूगला उर्फ रूघाराम पुत्र कालूराम का था, इसलिये सर्वप्रथम खातेदारी राईट रूगला उर्फ रूघाराम को मिले, इसलिये विवादित भूमि रूगला उर्फ रूधाराम की स्वअर्जित सम्पति है, जिससे भूमि उतरदाता को प्राप्त हुई है, मकानात बनाकर उतरदातागण काबिज है व आबाद है। आवेदक प्रार्थना पत्र में विवादित भूमि को पैत्रिक होना प्लीड करके आया है, जबकि पत्रावली में भूमि पैत्रिक हो ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया है ना ही संयुक्त परिवार रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम राजस्थान प्रांत में 15.10.1955 को लागू हुआ और राज्य सरकार के दिशा निर्देशानुसार व एक्ट में वर्णित्त प्रावधानानुसार जो व्यक्ति जिस भूमि को काश्त करता था उसे खातेदारी अधिकार दिये गये तथा सम्वत् 2012 में जिस व्यक्ति का नाम प्रथम भू-अभिलेख में दर्ज हुआ, उसे खातेदारी अधिकार अर्जित हुये, वह उस खातेदार की स्वअर्जित सम्पति मानी जायेगी। डाबडी बलौदा राजस्व ग्राम में प्रथम भू-अभिलेख सम्वत् 2016 से 2019 में बना अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार खातेदारी प्रार्थीगण के पूर्वज रूघला पुत्र कालू को प्राप्त हुई, जिसका नाम प्रथम भू-अभिलेख सम्वत् 2016 से 2019 में दर्ज है, जो उसकी स्वअर्जित सम्पति मानी जायेगी, चूंकि वार्षिक अभिलेख (प्रथम) में आवेदक अथवा उसके पूर्वज का नाम अंकित नही है, इसलिये वह न तो खातेदार है, न ही उसे कानूनन खातेदारी मिल सकती है, न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1979 पेज नम्बर 40 फूलसिंह बनाम मोतीलाल में प्रतिपादित किया है कि वार्षिक अभिलेख सम्वत् 2012 मे जिस व्यक्ति का नाम अंकित नही है, वह खातेदार नही बन सकता, जो उक्त तथ्य को प्रमाणित करता है कि आवेदक अथवा उससे पूर्वज का नाम कभी भी राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है, कभी भी खातेदार काश्तकार नही रहे है, जब आवेदक को खातेदारी नही मिली है, ना ही कानूनन खातेदारी मिल सकती है वहां आवेदक का प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है, चूंकि विवादित भूमि का राजस्व रिकार्ड शुरू से ही आवेदक के पूर्वज रूघा के नाम दर्ज चला आ रहा है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण विवादित भूमि के रिकार्डेड खातेदार है, काबिज काश्तकार है, इसलिये रिकार्डेड (अभिलिखित) खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, जैसा माननीय राजस्व मण्डल ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. पेज नम्बर 609 हीराराम बनाम रामदेवा में प्रतिपादित किया है कि स्वत्व की घोषणा केवल दावे में ही की जा सकती है, राजस्व अभिलेख के अभाव में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है, ना ही प्रथम दृष्टया मामला बनना माननीय न्यायालय ने माना है। माननीय राजस्व मण्डल ने न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यू. 2014 (1) आर.जे. पेज 660 प्रहलाद

उपखण्ड अधिकारी
[illegible]

Scanned by CamScanner

व अन्य बनाम श्रीराम व अन्य के मामले मे प्रतिपादित किया है कि भूमि अप्रार्थी के नाम से दर्ज थी, अप्रार्थीगण अभिलिखित खातेदार है, भूमि के अभिलिखित खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। विवादित आराजी में अधिकारों का निर्धारण मूलवाद में साक्ष्य उपरान्त ही होगा, चूंकि विवादित भूमि प्रार्थीगण के नाम से दर्ज है, गिरदावरी जो काश्त का अभिलेख है, प्रार्थीगण की काश्त को प्रमाणित करती है, पत्रावली में संलग्न दस्तावेज से खातेदारी व काश्त प्रार्थीगण की है, इसलिये कानूनन अभिलिखित खातेदार व कब्जाधारी के विरूद्ध टी.आई. ग्रान्ट नही की जा सकती है। चूंकि राजस्थान प्रांत में जितनी भी भूमियां थी वह जागीर के अधीन थी तथा विवादित भूमि ठिकाना बिसाउ के अधीन थी, जागीरदार जागीरी प्रथा के समय अपनी भूमियों को लगान के बदले अलग–अलग लोगो को काश्त करवाते थे, काश्तकार लगान जागीरदार को अदा करता था, जागीरदारी प्रथा समाप्त होने पर जो काश्तकार जिस भूमि को काश्त करता था उसका लगान जागीरदार के स्थान पर राज्य सरकार को लगान अदा करने लगा। राज्य सरकार ने राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के प्रभाव मे आने पर निर्धारित तिथी 15.10. 1955 को जिस व्यक्ति का कब्जा काश्त था उसे अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार खातेदारी अधिकार दिये, राजस्थान प्रांत में जागीर खालसा 05.09.1959 को हुई ओर राज्य सरकार के निर्देशों व प्रावधानो के अनुसार निर्धारित तिथी पर विवादित भूमि खसरा नम्बर 159 के 1/4 हिस्से पर चेता पुत्र डेडा का 1/4 हिस्से पर हनुमान पुत्र सरूपा का, 1/4 भाग पर रूगला पुत्र कालू का तथा 1/4 हिस्से पर खमानिया पुत्र जीवन का कब्जा काश्त था, इसलिए कब्जा काश्त के अनुसार खातेदारी अधिकार उपरोक्त अनुसार प्राप्त हुई तथा प्रथम भू–अभिलेख मे खातेदारी कॉलम मे उपरोक्त खातेदारो को खातेदारी अधिकार मिले, आवेदक अथवा उसके पिता या दादा को ना तो विवादित भूमि पर खातेदारी अधिकार मिले, ना इनका कब्जा काश्त था ना ही दस्तावेजी साक्ष्य से इसको प्रमाणित किया है, मात्र काल्पनिक कथनो को हवाला देकर वाद पेश किया है। जमीन नये खसरा नम्बर का राजस्व रिकार्ड विधि अनुसार सही दर्ज चला आ रहा है। विवादित भूमि का 1/4 हिस्सा पहले रूघाराम के नाम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार दर्ज हुआ तथा रूघाराम के फौत होने पर रामेश्वर के नाम खातेदारी हुई तथा रामेश्वर के फौत होने पर महीपाल व विनोद कुमार के नाम दर्ज हुई, इसिलये आवेदक द्वारा रिकार्ड गलत दर्ज चले आने का कथन हास्यास्पद है। आवेदक ने उक्त मद में कब्जा होने 1/8 हिस्सा होने, रिकार्ड गलत दर्ज होने, भूमि उसकी पैत्रिक होने आदि तमाम कथन दस्तावेजी साक्ष्य व वास्तविकता के विपरीत दर्ज किये है। रिकार्ड शुरू से लेकर आज तक सही चला आ रहा है। आवेदक का खसरा नम्बर 159 अथवा नये खसरा नम्बर की भूमि में ना तो कोई राईट है, ना ही कोई कब्जा काश्त है, प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 ही एक मात्र मालिक व खातेदार है, जिसमें आवेदक का कोई हिस्सा व संबंध नही है। विवादित भूमि रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है तथा वर्तमान में प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 के हक अधिकार

उपखण्ड अधिकारी
बदलपुर

Scanned by CamScanner

की है, रिकार्डेड खातेदारी (अभिलिखित खातेदारी) है, कब्जाधारी है, जबकि आवेदक का ना तो राईट पहले है, ना वर्तमान मे है। प्रतिवादी नम्बर 19 व अनावेदक नम्बर 1 लगायत 4 अभिलिखित खातेदार कब्जाधारक है, जिनके विरूद्ध कानूनन अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। जैसा उपरोक्त न्यायिक उदाहरणों में प्रतिपादित किया गया है । आवेदक ने अनावेदक नम्बर 6 के विरूद्ध उक्त वाद पेश किया है, जो राजकीय कर्मचारी व अधिकारी लोक सेवक है तथा राज्य सरकार के अधीन अपने दायित्वों का निर्वहन करता है, आवेदक ने अनावेदक नम्बर 6 विरूद्ध रिलीफ डिमाण्ड की है तथा उसके कर्तव्यों से रोकने की डिमाण्ड की है, कानूनन राजकीय कर्मचारी, अधिकारी लोक सेवक के विरूद्ध वाद पेश करने पर राज्य सरकार को पक्षकार संयोजित करना आज्ञापक प्रावधान है, जैसा अन्तर्गत आदेश 27 नियम 5 (क) जा0दी0 में वर्णित है। परन्तु आवेदक ने वाद पत्र में राज्य सरकार को पक्षकार नही बनाया है, इसलिये वाद में आवश्यक पक्षकार नही बनाने का दोष है, वाद विधि द्वारा वर्जित है, जो खारीज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है आवेदित भूमि का ना तो अभिलिखित खातेदार है, ना ही आवेदक के पूर्वज को विवादित भूमि में कभी खातेदारी अधिकार अर्जित हुये थे ना ही आज है, ना ही विवादित भूमि को दस्तावेजी साक्ष्य से पैत्रिक होना साबित किया है, ना ही विवादित भूमि पर आवेदक का कब्जा काश्त है, जबकि प्रार्थीगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार व कब्जाधारक है। इसलिए आवेदक का कोई प्रथम दृष्टया मामला नही है प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारीज होने योग्य है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति :– आवेदक मामले में अपने प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने में विफल रहा है, आवेदक मामले में विवादित भूमि को पैत्रिक सम्पति क्लेम करके आया है जबकि दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा पैत्रिक सम्पति साबित करने मे विफल रहा है, ना ही कब्जे के तथ्य को प्रमाणित कर पाया है, विवादित सम्पति ना तो पैत्रिक है, ना ही आवेदक का कब्जा है, प्रार्थीगण के पूर्वज रूघा को खातेदारी अधिकार प्रथम बार मिले जो राजस्व अभिलेख से प्रमाणित है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड दर्ज है। आवेदक ने प्रार्थना पत्र पूर्ण रूप से वेग आधारो पर पेश किया है, इस कारण आवेदक का प्रार्थना पत्र कानूनन चलने काबिल नही है। विवादित भूमि रूगला उर्फ रूघाराम की स्वअर्जित सम्पति है, इसलिये आवेदक को प्रार्थीगण के विरूद्ध कोई वाद हेतुक नही है, इसलिय बिना वाद हेतुक के उक्त वाद व प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। विवादित भूमि के प्रार्थीगण रिकार्डेड (अभिलिखित) खातेदारी है, पूर्ण रूपेण स्वामी है, काबिज काश्तकार है, इसलिये रिकार्डेड खातेदार कब्जाधारक के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती, वाद व प्रार्थना पत्र आवेदक खारीज होने योग्य है। चूंकि आवेदक प्रथम दृष्टया मामले को साबित करने मे विफल रहा है, इसलिए सुविधा का संतुलन भी आवेदक के पक्ष में नही है, ना ही आवेदक को प्रार्थीगण की तुलना में कोई क्षति है, अगर प्रार्थीगण को किसी प्रकार से पाबन्द किया गया तो आवेदक की तुलना में प्रार्थीगण को क्षति होगी, इसलिए आवेदक को

उपखण्ड अधिकारी
बयाना

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र खारीज होने योग्य है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवेदक प्रार्थना पत्र के तीनों बिन्दुओं को साबित करने में असफल रहा है, इसलिए प्रार्थीगण के विरूद्ध किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है प्रार्थना खारीज फरमाया जावे।

बहस पक्षकारान सुनी गई। बहस में वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संख्या 15 मिसल हकीयत में यह भूमि रूघा वल्द कालू के नाम दर्ज थी दस्तावेज संख्या 16 जमाबंदी ग्राम डाबडी सम्वत् 2016 से 2019 में महाबीर पुत्र माला उपकृषक दर्ज है। दस्तावेज संख्या 17 जमाबंदी ग्राम डाबड़ी संवत् 2020 से 2023 में रामेश्वर पुत्र रूघा व महाबीर पुत्र माला दर्ज है। ग्राम के 5 मौजिज व्यक्ति के शपथ पत्र पेश किये है। तीनों बिन्दु पक्ष में है। अतः वाद के निस्तारण तक दोनो पक्षो को पाबन्द किया जावे।

वकील अप्रार्थी ने जवाब में निवेदन किया कि लिखित बहस में पृष्ट 4 मे आर.आर.डी. 1979 पेज नम्बर 40 के बजाय पेज नम्बर 401 है तथा पेज 5 में आर.एल. डब्ल्यू 2004 पेज 609 है। जो शपथ पत्र पेश किये है, वें विधि अनुसार नही पढे जा सकते। दावा ही मेनटेनेबल नही है तथा रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

वकील अप्रार्थी ने न्यायिक दृष्टांत आर.आर.डी. 1979 पेज 401, आर.एल.डब्ल्यू. 2004 पेज 609 व आर.एल.डब्ल्यू 2014 पेज 660 तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 1 की प्रति पेश की।

वकील प्रार्थी ने न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 2009 17 एव आर.आर.डी. 1999 पेज 476 पेश किये।

पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के निस्तारण हेतु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु तय करना अनविार्य है। अतः सर्वप्रथम इन तीन बिन्दुओं को तय करना उचित है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला :–** दोनो पक्ष इस बात से सहमत है कि मालाराम व रूघाराम दोनो सगे भाई थे तथा रूघाराम बड़ा व मालाराम छोटा था तथा दोनो कालु के पुत्र थे। अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि को स्वअर्जित सम्पति बता रहा है लेकिन पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेज नही है, जिससे इस तथ्य की पुष्टि हो। उभय पक्ष की ग्राम डाबडी में अन्य भूमि भी है। प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज संख्या 15 मिसल हकियत ग्राम डाबडी में खसरा नम्बर 67, 152 व 129/296 रूघा वल्द कालू के नाम दर्ज थी। जमाबंदी ग्राम डाबड़ी सम्वत् 2016 से 2019 में खसरा नम्बर 67, 152, 129/296 में रूघा पुत्र कालु जाट साकिन देह खातेदार दर्ज है लेकिन कॉलम संख्या 5 में ही उपकृषक रामेश्वर पुत्र रूघा व महावीर पुत्र माला दर्ज है। जमाबंदी संवत् 2020 से 2023 ग्राम डाबडी अनुसार खसरा

उपखण्ड अधिकारी

नम्बर 67, 152, 129/296 रामेश्वर पुत्र रूघा व महाबीर पुत्र माला दर्ज है। इस प्रकार खसरा नम्बर 67, 152 व 129/296 भी मिसल हकियत में रूघा वल्द कालू के नाम दर्ज थी लेकिन बाद में रामेश्वर व महाबीर दोनो के नाम दर्ज हो गई। इस प्रकार प्रश्नगत भूमि के संबंध में ऐसी ही स्थिति से इंकार नही किया जा सकता। हालांकि प्रश्नगत भूमि पैत्रिक है या नहीं तथा उक्त भूमि अकेले रूघा की थी या कालु की थी, इन सभी बिन्दुओं का निर्धारण मूल वाद में दोनो पक्षों की साक्ष्य लिपिबद्ध होने के उपरान्त ही हो सकेगा। इस स्थिति में मेरे मत में प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला बनना प्रमाणित होता है।

2. **सुविधा का संतुलन** :– प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है।

3. **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थी का प्रथम दृष्टया मामला होने से यदि दौराने वाद अप्रार्थी प्रश्नगत भूमि का बेचान कर देता है तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति का सामना करना पड़ सकता है।

यह सही है कि बिना प्रतिपरीक्षा के शपथ पत्र का कोई महत्व नही है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त आर.आर.डी. 19798 पेज 401 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 से संबंधित नही है।

आर.एल.डब्ल्यू 2004 पेज 609 में प्रार्थी 40 वर्ष पूर्व ही घर छोड़ कर चला गया था तथा आर.एल. डब्ल्यू 2014 पेज 660 में अप्रार्थी द्वारा उनकी फसल बर्बाद करने संबंधी एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई थी, ये सभी न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में अक्षरशः चस्पा नही होते है।

वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त में दोनो पक्ष को ही यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किया गया है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाता है तथा इस न्यायालय द्वारा जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञ दिनांक 24.01.2017 को कन्फर्म करते हुए उभय पक्ष को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे वाद के निस्तारण तक ग्राम डाबडी स्थित जमीन खसरा नम्बर 263, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 287 रकबा क्रमशः 0.60, 0.08, 0.13, 0.16, 0.17, 0. 40, 0.28, 0.07, 0.54, 0.45 कुल किता 10 कुल रकबा 2.88 हेक्टर के बाबत मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगे। निर्णय आज दिनांक 6.03.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

6-3-2020

(मुरारी लाल शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी नवलगढ़

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Murari Lal Sharma
Date: 2020.03.20 11:36:23 IST
Reason: SelfAttested
Location: